प्ररूप-क

(नियम-3 देखिए)

अनुदेशों सहित संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	विशिष्टियां
1.	अनुदेश
2.	आवेदक का पत्र
3.	संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्ररूप

(1) भाग-क
सामान्य जानकारी

(2) भाग-ख

(एक) सी.ए.एफ.-1
पर्यावरण संबंधी बाधा-निवारण

(दो) सी.ए.एफ.-2
एल.टी. तथा एच.टी. हेतु ऊर्जा संयोजन

(तीन) सी.ए.एफ.-3
कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन स्थान का अनुमोदन तथा भवन निर्माण करने की अनुज्ञा के लिए.

(चार) सी.ए.एफ.-4
भू-आवंटन

(पांच) सी.ए.एफ.-5
जल आपूर्ति

(छह) सी.ए.एफ.-6
प्राकृतिक संसाधनों से जल निकालने (खींचने) के आवंटन हेतु आवेदन

(सात) सी.ए.एफ.-7
भवन निर्माण हेतु स्थानीय निकायों से अनुज्ञा

1. घोषणा

2. अभिस्वीकृति

संयुक्त आवेदन-पत्र

अनुदेश

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदन की समय-सीमा में प्रक्रिया) नियम, 2010 के अधीन संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्ररूप प्रस्तुत करने हेतु

कृपया सी.ए.एफ. प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेश सावधानीपूर्वक देखें:—

1. ऐसे निवेशक, जो नई परियोजना स्थापित करना चाहते हैं या जो उनके विद्यमान उद्योग का विस्तार/ उसमें विधिवत् आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव करते हैं तथा जो विभिन्न विभागों/ एजेन्सियों से सहमति/ बाधा-निवारण चाहते हैं, तो वे संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) में आवेदन कर सकेंगे.

2. सी.ए.एफ. में दो भाग समाविष्ट हैं, अर्थात् भाग "क" तथा भाग "ख", भाग "क" में आवेदक से परियोजना की सामान्य तथा मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है, भाग "ख" में आवेदक से संबंधित विभागों से आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा है.

3. 10 करोड़ रुपये का एक निश्चित निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदकों से संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) विनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी अर्थात् उस जिले/ क्षेत्र के जहां परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.) को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा.

4. 10 करोड़ रुपये से अधिक का एक निश्चित निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदकों से विनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी अर्थात् मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी. ट्रायफेक) ए.व्ही.एन. टॉवर, 192 एम. पी. नगर, भोपाल-462011 को संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा.

5. संयुक्त आवेदन-पत्र का पूरा मुद्रित सेट रुपये 250/- के भुगतान करने पर, नोडल एजेन्सियों अर्थात् मध्यप्रदेश ट्रायफेक/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.) से प्राप्त किया जा सकता है. संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) वेबसाइट www.mptrifac.org अथवा www.mpindustry.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

6. संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ आवेदक से निम्नानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान अपेक्षित होगा:—

अनुक्रमांक (1)	परियोजना में प्रस्तावित निश्चित पूंजी निवेश (2)	आवेदन शुल्क रुपयों में (3)
1.	रुपये 1.00 करोड़ तक	500
2.	रुपये 1.00 करोड़ से अधिक रुपये 10.00 करोड़ तक	2000
3.	रुपये 10.00 करोड़ से अधिक रुपये 25.00 करोड़ तक	5000
4.	रुपये 25.00 करोड़ से अधिक	10,000

7. पैरा-6 में वर्णित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा प्रभारित विभिन्न बाधा-निवारणों के लिए आवश्यक शुल्क पृथक् से देना होगा. शुल्क के रूप में बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ चालान (जो लागू हो) संयुक्त आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए, किन्तु संबंधित विभागों/ एजेन्सियों के पक्ष में ही देय होगा.

8. आवेदकों से उन्हीं आवेदन-पत्रों को भरकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो उनकी परियोजना के लिए लागू है (संयुक्त आवेदन-पत्र में सम्मिलित उन सभी आवेदन-पत्रों को भरा जाना आवश्यक नहीं है जो सी.ए.एफ. का भाग हैं).

9. आवेदक, संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) विनिर्दिष्ट अधिकारी को एम. पी. ट्रायफेक अथवा डी.टी.आई.सी. को प्रस्तुत करेगा या आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक से भी प्रेषित किए जा सकते हैं. विनिर्दिष्ट अधिकारी संयुक्त आवेदन-पत्र का निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण करेंगे कि—

(एक) आवेदन-पत्र के पूर्ण सेट संलग्न हैं या नहीं;

(दो) विहित शुल्क संलग्न है या नहीं;

(तीन) आवश्यक संलग्नक संलग्न किए गए हैं या नहीं;

(चार) आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है या नहीं तथा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं. पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है या नहीं;

(पांच) कम्पनी के मामले में, प्लांट की स्थापना के निर्णय संबंधी कथन करते हुए कम्पनी के बोर्ड के संकल्प की प्रति संलग्न है या नहीं;

(छ:) संलग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए.

10. संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के साथ विहित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

11. बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण सुसंगत नियमों एवं अधिनियमों के अधीन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा. आवेदन के निराकरण हेतु आवश्यक समय-सीमा उपाबंध-एक में वर्णित किए गए अनुसार होगा.

12. उन संलग्नकों तथा विशिष्टियों को, जो संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का ही एक भाग है, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणीकृत किया जाएगा.

13. अस्पष्ट, भ्रामक या गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में केवल आवेदक ही मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18(1) के अधीन परिणाम के प्रति उत्तरदायी होगा.

14. यदि कोई सहमति/ बाधा-निवारण सी.ए.एफ. के अन्तर्गत नहीं आती है तो आवेदक संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा विहित प्ररूप में ऐसी बाधा-निवारण के लिए सुसंगत विधियों के अधीन सी.ए.एफ. के साथ अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

15. जहां सहमतियां/ बाधा-निवारण जारी करने हेतु संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा कोई आवेदन-पत्र विहित नहीं किया गया हो, वहां आवेदक सादे कागज पर समस्त जानकारी एवं संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकेगा.

16. आवेदक, यदि वे ऐसा चाहे तो, सीधे ही संबंधित विभागों/ एजेन्सियों को आवश्यक बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं. संबंधित विभाग/ एजेन्सियां, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम, 2010 में यथा विहित समय-सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण करेंगे.

आवेदक की ओर से पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म. प्र. ट्रायफेक,
ए.व्ही.एन. टॉवर, 192
जोन-1, एम. पी. नगर,
भोपाल-11

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला ....

विषय:—संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) का प्रस्तुत किया जाना.

महोदय,

हम जिला .... में रुपये . . . . के निवेश से एक नवीन परियोजना की स्थापना/ परियोजना का विस्तार/ परियोजना में विविधता/ उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं.

आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) के सम्यक् रूप से भरे हुए भाग-'क' एवं भाग-'ख' प्रस्तुत हैं. हमारा निवेदन है कि म. प्र. निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन संयुक्त आवेदन-पत्र में यथावर्णित सहमतियां/ बाधा-निवारण प्राप्त करने में हमें सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें.

भवदीय

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक :

स्थान :

नाम ....

पदनाम ....

कम्पनी ....

संलग्न :

1. संयुक्त आवेदन-पत्र (भाग-'क' एवं 'ख')
2. घोषणा-पत्र
3. समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची.

संयुक्त आवेदन-पत्र (सी.ए.एफ.) भाग-क

परियोजना की सामान्य जानकारी—

1. आवेदक का नाम ....

2. परियोजना का नाम ....

3. प्रस्तावित स्थल ....

4. पूर्ण पता ....

पंजीकृत कार्यालय	निगमित कार्यालय	स्थानीय कार्यालय
दूरभाष क्रमांक :	दूरभाष क्रमांक :	दूरभाष क्रमांक :
फैक्स :	फैक्स :	फैक्स :
ई-मेल :	ई-मेल :	ई-मेल :

पत्राचार के लिए पता :—

5. कम्पनी के स्वामी/ भागीदार/ प्रवर्तक/ संचालक के ब्यौरे :

अनुक्रमांक	नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ई-मेल
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

6. परियोजना प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता :

नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ ई-मेल

7. सम्पर्क हेतु व्यक्ति का विवरण :

नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	फैक्स/ ई-मेल

8. फर्म का गठन :
(कृपया चिन्ह लगाएं)

अनुक्रमांक	फर्म/ कंपनी	कृपया (✔) चिन्ह लगाएं
1.	स्वामित्व	
2.	भागीदारी	
3.	प्रायवेट लिमिटेड	
4.	पब्लिक लिमिटेड	
5.	अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें	

9. प्रस्तावित परियोजना की श्रेणी :

अनुक्रमांक	श्रेणी	कृपया (✔) चिन्ह लगाएं
1.	उद्योग	
	(क) सूक्ष्म	
	(ख) लघु उद्योग (एस.एस.आई.)	
	(ग) मध्यम	
	(घ) वृहद	
2.	सेवा	
3.	अन्य	

10. विनिर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तु/सेवा का नाम :

अनुक्रमांक	वस्तु/ सेवा का नाम	प्रस्तावित क्षमता (प्रतिवर्ष)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

11. **प्रस्तावित निवेश :**

	विवरण	मूल्य (रु. लाख में)
(एक)	भूमि एवं स्थल विकास	
(दो)	भवन	
(तीन)	संयंत्र एवं मशीनरी	
	(क) स्वदेशी	
	(ख) आयातित	
(चार)	विद्युत् संस्थापन	
(पांच)	केप्टिव पॉवर उत्पादन में निवेश (यदि कोई हो)	
(छह)	अन्य स्थिर आस्तियां	
कुल स्थिर निवेश		
(सात)	प्रारंभिक और चालू करने के पूर्व व्यय	
(आठ)	कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी	
	कुल परियोजना लागत . .	

12. **वित्तीय साधन :**

अनुक्रमांक	विवरण	(रुपये लाख में)
1.	अंश पूंजी	
2.	वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से सावधि ऋण	
3.	अप्रतिभूत ऋण	
4.	अन्य परिदान (यदि कोई हो)	
	योग . .	

13. प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि की कुल आवश्यकता :

14. बिजली की आवश्यकता:

(एक) उच्च दाब (एच.टी.) एवं निम्न दाव (एल.टी.) संयोजन:

(दो) अपेक्षित भार:

15. जल की प्राक्कलित आवश्यकता:
(कि.ली. प्रतिदिन)

16. प्रस्तावित रोजगार :

- प्रबन्धकीय :
- पर्यवेक्षीय :
- कुशल :
- अकुशल :

17. उद्यम संबंधी ज्ञापन का विवरण (भाग-एक एवं दो)/एसआईए अभिस्वीकृति/ औद्योगिक अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (कृपया प्रतियां संलग्न करें)

क्रमांक/दिनांक	उत्पाद का नाम	जारीकर्ता प्राधिकारी	वैधता की अवधि

18. उत्पादन/सेवाएं प्रारंभ होने की संभावित तारीख:

19. सरकारी विभागों /एजेन्सियों, यदि कोई हों, के साथ हस्ताक्षरित किए गए एमओयू/ईओआई का विवरण (प्रति संलग्न की जाए):

20. क्या परियोजना को प्रोजेक्ट क्लीयरेंस इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड (पी.सी.आई.बी.) से बाधा-निवारण प्राप्त है, उसके ब्यौरे, यदि लागू हो :

21. परियोजनाओं से संबंधित अन्य कोई जानकारी:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम ....

पता ....

दूरभाष क्रमांक :
मोबाइल नं. :
ई-मेल :

टिप्पणी :—

1. आवेदकों द्वारा विभिन्न विभागों से बाधा-निवारण/सहमतियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ परियोजना की सामान्य जानकारी (केवल भाग-क) का एक सेट संलग्न किया जाना आवश्यक है, इसके अतिरिक्त परियोजना की सामान्य जानकारी (केवल भाग-क) का एक अतिरिक्त सेट नोडल अधिकारी को अभिलेख के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

2. यदि आवश्यक हो, तो परियोजना की सामान्य जानकारी के साथ पृथक् शीट संलग्न की जा सकेगी.

संयुक्त आवेदन-पत्र भाग-ख

बाधा-निवारण उन आवेदन-पत्रों का संक्षित सार जो अभिप्राप्त करने हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए गए हों:—

अनुक्रमांक	बाधा-निवारण	संयुक्त आवेदन-पत्र क्रमांक	विभाग/एजेन्सी	आवेदन संलग्न हैं (हां/नहीं)
1.	पर्यावरण संबंधी बाधा-निवारण (जल एवं वायु प्रदूषण के लिए सहमति).	सीएएफ-1	राज्य पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण एजेन्सी.	
2.	विद्युत् संयोजन उच्चदाब (एच.टी.) संयोजन निम्नदाब (एल.टी.) संयोजन	सीएएफ-2	संबंधित विद्युत् वितरण कम्पनी	
3.	कारखाना अधिनियम के अधीन स्थल अनुमोदन एवं भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा.	सीएएफ-3	श्रम विभाग	
4.	भूमि आबंटन	सीएएफ-4	संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी.टी.आई.सी.)/मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.)	
5.	जल आपूर्ति	सीएएफ-5	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.)	
6.	प्राकृतिक संसाधनों से निकाले जाने वाले प्रस्तावित जल का आवंटन.	सीएएफ-6	जल संसाधन विभाग	
7.	भवन के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों से अनुज्ञा.	सीएएफ-7	नगर पालिका/नगर निगम	
8.	अन्य			

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सी.ए.एफ.-1

पर्यावरणीय विधि नियम विषयक आवश्यकताएं :—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन सहमति को जिनमें स्थानीय निकायों/ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में सूचीबद्ध उद्योग सम्मिलित हैं, खदानों के सरलीकरण प्रक्रिया के अधीन सूचीबद्ध एस.एस.आई. सेक्टर में क्रियाकलापों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21-1-2008 के लिए सहमति जल एवं वायु अधिनियम के अधीन सहमति प्राप्त करना आवश्यक है. सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

एक. 5.0 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाली मध्यम/वृहद उद्योग/ संस्था/नगरपालिक निगम की खदानें:—सहमति दो भागों में दी जाती है :—

(क) स्थापना हेतु अनुज्ञा (ख) संचालन हेतु सहमति, किसी नियम कालावधि के लिए संचालन की सहमति जारी करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि नियमित रूप से नवीकरण किया जाए.

स्थापना हेतु अनुज्ञा .—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन स्थापना की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र विहित फार्मेट) में बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा.

संचालन हेतु सहमति .—जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन विस्तृत जानकारी एवं स्थापना की अनुज्ञा में अधिकथित शर्तों के पालन के साथ विहित फार्मेट में आवेदन बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा.

सहमति का नवीकरण .—सहमति का संचालक या सहमति का नवीकरण नियत कालावधि के लिए किया जाता है. सहमति का वैधता की समाप्ति के पूर्व नवीकृत होना आवश्यक है. सहमति के नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन विहित फार्मेट में तथा आवश्यक सहमति नवीकरण फीस, बोर्ड के मुख्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करना होगा.

दो. लघु उद्योग/संस्थाएं

एस.एस.आई. प्रवर्ग के अधीन उद्योग/संस्थाएं जो सहमति से छूट प्राप्त नहीं है: लघु उद्योग संस्थाएं जिसमें नगरपालिक निगम को छोड़कर पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा रखने वाली खदानें स्थानीय संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए सहमति देने के लिए या सहमति का नवीकरण करने की शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन आवश्यक सहमति/सहमति नवीकरण फीस तथा सहमति के लिए आवेदन-पत्र विहित फार्मेट के साथ नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

एस.एस.आई. प्रवर्ग के अधीन उद्योग एवं संस्थाएं जो सहमति की सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं:—

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21 जनवरी 2008 द्वारा जारी सहमति की सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलाप/उद्योगों को विहित फार्मेट में एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है. सरलीकृत प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार सुसंगत अधिनियमों के अधीन अभिस्वीकृति को सहमति के रूप में समझा जाता है.

2. **खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन तथा ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अधीन प्राधिकार :—**

सभी मध्यम/वृहद् उद्योग/ संस्था/नगरपालिक निगम/5.0 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल की खदानों को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन, तथा ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अन्तर्गत प्राधिकार हेतु लागू प्रशासकीय प्रभारों (यदि सम्मिलित हैं) व्यय के साथ आवेदन बोर्ड के मुख्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है. लघु उद्योग/संस्थाएं जिसमें नगरपालिक निगम को छोड़कर 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की खदानों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा खतरनाक अपशिष्ट(प्रबंधन, हथालन, तथा ट्रान्स बाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2008 के अधीन लघु उद्योगों/पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र की खनन पट्टा वाली खदानों को सम्मिलित करते हुए, नगर पालिक निगमों के सिवाय अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को प्राधिकार देने की शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजित की गई हैं.

3. **ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अधीन पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण:—**

ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों/क्रियाकलापों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिकरण (एजेन्सी) (SEIAA) से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है:—

(क) ई. आई. ए. अधिसूचना, की अनुसूची में "क" श्रेणी में सूचीबद्ध उद्योगों या क्रियाकलापों को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है.

(ख) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में ''ख'' श्रेणी में सूचीबद्ध उद्योगों या क्रियाकलापों को राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिकरण (एजेन्सी) (SEIAA) से पर्यावरण के संबंध में बाधा-निवारण प्राप्त करना आवश्यक है.

टिप्पणी : ऑनलाइन आवेदन हेतु कृपया बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट देखें.

जल/वायु अधिनियमों के अधीन सहमति हेतु आवेदन प्ररूप तथा सहमति शुल्क का ब्यौरा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.mppcb.nic.in/Divisions/Technial/Consentmanagement पर उपलब्ध है.

औद्योगिक इकाईयों को पूर्व पर्यावरणीय बाधा-निवारण देने हेतु प्रक्रिया

1. जहां कोई उद्यमी - नवीन उद्योग स्थापित करना चाहता है.
   - विद्यमान उद्योग का विस्तार/आधुनिकीकरण करना चाहता है.
   - विद्यमान उद्योग में प्रक्रिया/तकनीक में परिवर्तन करना चाहता है, या
   - क्रियाशील उद्योग के स्थान में परिवर्तन करना चाहता है.

(ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योग/प्रक्रिया यथास्थिति एम.ओ.ई.एफ.(जी.ओ.आई.) या एस.ई.आई.ए.ए. से पूर्व क्रियाकलापों का पर्यावरणीय बाधा-निवारण प्राप्त करना होगा-कृपया ई.आई.ए. अधिसूचना की संलग्न अनुसूची का सन्दर्भ लें.)

2. एस.ई.आई.ए.ए द्वारा पूर्व पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु प्राप्त आवेदन तकनीकी पुनर्विलोकन स्क्रीनिंग और स्कोपिंग हेतु स्टेट इनवायरनमेंटल एप्रेजल कमेटी को अग्रेषित करना है. टी.ओ.आर. (TOR) हेतु परियोजना प्रस्तावक को स्टेट इनवायरनमेंटल एप्रेजल कमेटी के समक्ष परियोजना के संबंध में मुख्य बातों पर प्रस्तुत करना है. एस.ई.ए.सी. द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर मौके पर ही पी.पी. द्वारा देना होगा.

3. यदि स्टेट इनवायरनमेंटल एप्रेजल कमेटी प्रस्तुत करने से संतुष्ट है तो पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार करके टी.ओ.आर. (TOR) को अनुमोदित तथा जारी किया जाता है.

4. टी.ओ.आर. (TOR) के आधार पर अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष लोक सुनवाई हेतु (यदि आवश्यक हो) प्रस्तुत की जाती है. लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार की जाती है.

5. अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (EIA) पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) के साथ पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु आवश्यकतानुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करना होता है. स्टेट इनवायरनमेंटल एप्रेजल कमेटी के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करना होंगे.

जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियों के अधीन सहमति :

ई.आई.ए अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध उद्योगों को सम्मिलित करते हुए खदानों एवं समस्त उद्योगों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21-1-2008 सहमति हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन सहयोगी एस.एस.आई. सेक्टर में क्रियाकलापों को छोड़कर जल तथा वायु अधिनियम के अधीन, सहमति प्राप्त करना आवश्यक है.

राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण एजेन्सी (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन पर्यावरणीय बाधा-निवारण हेतु आवश्यक विवरण

प्ररूप-1

(एक) आधारभूत जानकारी :

परियोजना का नाम :

विचाराधीन वैकल्पिक अवस्थिति/स्थल :

परियोजना का आकार :

परियोजना की अनुमानित लागत :

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत् उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(दो) क्रियाकलाप :

1. परियोजना का सन्निर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो स्थान में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि) :—

अनुक्रमांक	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दर, सहित, जहाँ तक संभव हो) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है).		
(2)	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों के संबंध में बाधा-निवारण.		
(3)	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
(4)	सन्निर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात् बोर, गृह, मिट्टी का परीक्षण करना.		
(5)	सन्निर्माण कार्य?		
(6)	नष्ट करने संबंधी कार्य		
(7)	सन्निर्माण कार्य या सन्निर्माण कर्मकारों के गृह निर्माण के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल.		

(1)	(2)	(3)	(4)
(8)	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है.		
(9)	भूमिगत कार्य जिसमें खनन सुरंग बनाना भी सम्मिलित है.		
(10)	भूमि सुधार कार्य		
(11)	तलकर्षक		
(12)	अपतट संरचनाएं		
(13)	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
(14)	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
(15)	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं.		
(16)	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक गृह निर्माण का प्रबंधन के लिए सुविधाएं.		
(17)	सन्निर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात.		
(18)	नई सड़क, रेल, वायु, जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित हैं.		
(19)	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद या परिवर्तित करना या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना.		
(20)	नई या परिवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइप लाईनें		
(21)	अवरुद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुन-रेखांकन या जल मार्गों या एक्वाफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन.		
(22)	प्रवाह पार		
(23)	भू-जल या भू-तल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
(24)	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जल निकायों या भूमि स्तर में परिवर्तन.		

(1)	(2)	(3)	(4)
(25)	सन्निर्माण, प्रचालन या डिकमिशनिंग के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन.		
(26)	दीर्घकालिक रूप में तोड़ना या डिकमिशनिंग या कार्य पुनः आरंभ करना.		
(27)	डिकमिशनिंग के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकते हों.		
(28)	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आगमन.		
(29)	अन्य देशीय प्रजातियों की पुर:स्थापना		
(30)	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि.		
(31)	अन्य कोई कार्यवाहियाँ		

2. परियोजना के सन्निर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग (जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है या जिसका प्रदाय कम है) :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि हेक्टेयर		
(2)	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई: के.एल.डी.		
(3)	खनिज (एम.टी.)		
(4)	सन्निर्माण सामग्री-पत्थर संकलित सामग्री और औसत बालू, मृदा (अनुमानित स्त्रोत एम.टी.)		
(5)	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत-एम.टी.)		
(6)	ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम. डब्ल्यू).		
(7)	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन, (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें).		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग भण्डारकरण, परिवहन, उठाई-धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिससे मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा फॉना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) है.		
(2)	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदाहरणार्थ कीट या जल जन्य रोग).		
(3)	लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदाहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके.		
(4)	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं.		
(5)	कोई अन्य कारण.		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास) :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां तक संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
(2)	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट).		
(3)	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र नियमों के अनुसार).		
(4)	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
(5)	अधिशेष उत्पाद		
(6)	मल बहि:स्त्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
(7)	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
(8)	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
(9)	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
(10)	कृषि अपशिष्ट		
(11)	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैली या जहरीले पदार्थों का विसर्जन :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	लेखन सामग्री या चल संसाधनों से जीवाष्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन.		
(2)	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
(3)	सामग्रियों की उठाई-धराई जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन.		
(4)	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, से उत्सर्जन.		
(5)	सामग्रियों की उठाई-धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी है, धूल या गंध.		
(6)	अपशिष्ट के भस्मीकरण के उत्सर्जन		
(7)	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर).		
(8)	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	उपस्कर उदाहरणार्थ, ईंजन, संवातन संयंत्र, संदलन-साधित्र के प्रचालन से.		
(2)	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
(3)	निर्माण करने या तोड़ने से		
(4)	विस्फोटक या पाईलिंग से		
(5)	निर्माण या प्रचालन यातायात से		
(6)	प्रकाश या प्रशीतक प्रणालियों से		
(7)	किन्हीं अन्य स्रोतों से		

7. भूमि में या मल नालियों में, सतही जल, भूमिगत जल, समुद्र के तटीय जल में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परिसंकटमय सामग्री की उठाई-धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से.		
(2)	जल या भूमि में (अपेक्षित रीति तथा विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बहि:स्रोत के विसर्जन से.		
(3)	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से.		
(4)	किन्हीं अन्य स्रोतों से		
(5)	क्या इन स्रोतों से पर्यावरण में दीर्घकाल तक प्रदूषक के जमा होने की जोखिम है?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं के जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं :

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (करीबी मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग इत्यादि से, भंडारण, उठाई-धराई, उपयोग या उत्पादन से.		
(2)	किन्ही अन्य कारणों से		
(3)	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-स्खलन वृष्टिस्फोट आदि)?		

9. बातें, जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित सम्भाव्य है या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान है :—

अनुक्रमांक	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (करीबी मात्राओं/दरों सहित, यथाशक्य संभव हो)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	ऐसी परियोजनाएं जिनके द्वारा अयोग्यताओं को सहयोग का विकास आनुषंगिक विकास या परियोजना द्वारा		

(1)	(2)	(3)	(4)
	विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् :— ● आधारित अवसंरचना (सड़कें, विद्युत प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि). ● गृह निर्माण विकास ● निष्कर्षित उद्योग ● आपूर्ति उद्योग ● अन्य		
(2)	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव हो सकता है.		
(3)	पश्चात्वर्ती विकास के लिए उदाहरण स्थापित करना		
(4)	अन्य विद्यमान परियोजनाओं से सामीप्य के कारण या समान प्रभाव को नियोजित परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव रखना.		

(तीन) पर्यावरणीय संवेदनशीलता :

अनुक्रमांक	क्षेत्र	नाम/पहचान	वायुमण्डलीय दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उनके पारिस्थितिकी, भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, राष्ट्रीय या स्थानीय विधायन के अधीन संरक्षित क्षेत्र.		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील है-वेट लैड्स, जल स्रोत या अन्य जल निकाय, तटीय परिक्षेत्र, जीवमण्डल (बायोस्फीयर) पर्वत वन.		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फॉना की संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं.		
4.	अंतर्देशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन हेतु या अन्य पर्यटक तीर्थ यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या प्रसुविधाएं.		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	मानव निर्मित संवेदनशील भूमि उपयोगों के लिए अधिगृहीत क्षेत्र (अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं).		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भू-तल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज).		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अध्यधीन है (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं).		
12.	प्राकृतिक संकट के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र जो परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकते हैं (भू-कम्प, धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं).		

(चार) ईआईए अध्ययन हेतु प्रस्तावित शर्तों के निर्देश :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

अपेक्षित संलग्नक :—

उद्योग विभाग के रजिस्ट्रीकरण की प्रति.

भूमि आवंटन की प्रति.

परियोजना प्रतिवेदन की प्रति.

वैचारिक योजना (कन्सेप्च्युअल प्लान).

प्रस्तावित उद्योग एवं उद्योग के आस-पास के 5 कि.मी. में सूक्ष्म स्तरीय रूपरेखा की स्थिति दर्शाता हुआ नक्शा.

टिप्पणी.—आवेदन-पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें.

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

अनुक्रमांक	परियोजना या क्रियाकलाप	प्रारंभ सीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें यदि कोई हों
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए) :**			
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र को ≥ 50 हेक्टेयर किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान किए बिना एस्बैस्टस खनन.	< 50 हेक्टेयर ≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र.	साधरण शर्त लागू होगी **टिप्पणी :—** खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बशर्ते कि भौतिक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है.
1(ख)	तट से परे और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन.	सभी परियोजनाएं		**टिप्पणी**—खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग अन्तर्विष्ट न हो) को भौतिक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति लेने की शर्त पर छूट दी गई है.
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(एक) ≥50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन. (दो) ≥10,000 हेक्टेयर खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र.	(एक) < 50 ≥25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन. (दो) < 10,000 हेक्टेयर खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र.	साधारण शर्त लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	500 मे.वा. ≥ (कोयला लिग्नाइट/ नेफ्था गैस आधारित) ≥ 50 मे.वा. पैटकोक डीजल तथा सभी अन्य फ्यूल.	< 500 मे.वा. (कोयला/ लिग्नाइट/ नेफ्था गैस आधारित). (पैटकोक, डीजल तथा सभी अन्य ईंधन) < 50 मे.वा. ≥25 मे.वा.	साधारण शर्त लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण.	सभी परियोजनाएं		
2.	**प्राथमिक प्रसंस्करण :**			
2(क)	कोयला शोधनशालाएं	≥1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	< 1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	साधारण शर्त लागू होंगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2(ख)	खनिज हिताधिकारी	≥ 0.1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	≤0.1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन.	साधारण शर्त लागू होगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खान प्रस्ताव का खनिज हिताधिकारी के साथ ही मूल्यांकित किया जाना चाहिए.
		3. पदार्थ उत्पादन :		
3(क)	धातुकर्म उद्योग (फैरस और गैर फैरस).	(क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं. (ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥200 टीपीडी. (ग) गौढ़ धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग, सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां ≥ 20,000 टन/वार्षिक.	स्पंज आयरन विनिर्माण . . . < 200 टीपीडी गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग : 1. सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयों < 20,000 टन/वार्षिक. 2. अन्य सभी विषरहित गौढ़ धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग. >5,000 टन/वार्षिक.	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी.
3 (ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥1.0 मिलियन टन.	< 1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता यह सभी ग्रेनाईट इकाईयों पर लागू है.	साधारण शर्त लागू होगी
		4. पदार्थ प्रसंस्करण :		
4(क)	पेट्रोलियम रिफाईनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं	—	—
4(ख)	कोक भट्टी संयंत्र	≥25.0000 टन/वार्षिक	< 25.0000 एवं ≥25.000 टन/वार्षिक	—
4(ग)	एम्बेस्टास मिलिंग और एस्वेस्टास आधारित उत्पादन.	सभी परियोजनाएं	—	—
4(घ)	क्लोरअलकली उद्योग	उत्पादन क्षमता ≥300 टीपीडी अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाहर स्थित इकाई.	उत्पादन क्षमता < 300 टन पीडी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित इकाई.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीयम प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है.
4(ङ)	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(च)	चमड़ा/त्वचा चर्म प्रसंस्करण उद्योग.	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान इकाइयों का विस्तार.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में नवीन परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
		5. उत्पादन/फैब्रिकेशन :		
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं	—	—
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विनिर्दिष्ट अंतर्वर्ती (संविन्यास को छोड़कर).	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली सभी इकाइयां.	—	—
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या एरोमैटिक्स में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग).	सभी परियोजनाएं	—	—
5 (घ)	मानव निर्मित फाइबर	रेयन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
5 (ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है).	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	सिंथेटिक कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यक: सिंथेटिक रबड़, मूल कार्बनिक रसायन, अन्य सिंथेटिक कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक).	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित.	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(एक) सभी शीरा आधारित आसवनी. (दो) सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी ≥30 के.एल.डी.	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी. < 30 के.एल.डी.	साधारण शर्त लागू होगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	लुगदी और अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण उद्योग और तैयार लुगदी और विरंजन किए बिना तैयार लुगदी से कागज निर्माण उद्योग.	लुगदी विनिर्माण और लुगदी और कागज विनिर्माण उद्योग.	लुगदी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्मागि उद्योग.	साधारण शर्त लागू होगी
5(ञ)	चीनी उद्योग	—	गन्ना पेरने की क्षमता $\geq$5000 टेड केन.	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	उत्प्रेरण/आर्क भट्‌टी/कुपोला भट्‌टी 5 टन प्रति घंटा या अधिक.	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
		6. सेवा सेक्टर :		
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/प्रवाल भित्तियों/एल.एन.जी टर्मिनल सहित पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाईप लाइनें अपरिष्कृत और प्रसंस्कृत/पेट्रो रसायन उत्पाद).	सभी परियोजनाएं	—	—
6(ख)	एकल भंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएस आईएचसी नियम, 1989-2000 तक संशोधित अनुसूची 2 और 3 के कॉलम 3 में उपदर्शित परिमाण योजना के अनुसार).		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
		7. पर्यावरणीय सेवाओं को सम्मिलित करते हुए भौतिक अवसंरचना		
7 (क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 (ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है.	सभी परियोजनाएं	—	—
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा परिसर.	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो. 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं जिनमें कम से कम श्रेणी 'ख' क उद्योग स्थित हो.	औद्योगिक संपदाएं और जिसमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र < 500 हेक्टेयर हो. औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र 500> हेक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है.	विशेष शर्त लागू होगी **टिप्पणी :** औद्योगिक संपदा 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जिसमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है.
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (टी.एस.डी.एफ.एस.).	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है.	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं.	साधारण शर्त लागू होगी
7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न).	< 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और या पत्तन/बंदरगाह में ≥10000 रु. मछली उठाई-धराई की क्षमता.	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	(एक) नए राष्ट्रीय राजमार्ग और (दो) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं.	(एक)नए राज्य राजमार्ग और (दो) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है.	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशीय यात्री रज्जुमार्ग.	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(ज)	सामान्य स्त्राव उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.एस.)	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	सामान्य नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सी.एम.एस. डब्ल्यू. एम.एफ.).	—	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
	8. भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण			
8(क)	भवन एवं संन्निर्माण परियोजनाएं.	—	≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 150000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र #	आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा.
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं.	—	≥50 हेक्टर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥150000 वर्गमीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निबंधित किया जाएगा.

टिप्पणी :—

साधारण शर्त.— प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क" माना जाएगा, यदि वह (एक) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (दो) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (तीन) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (चार) अंतराज्यिक सीमाओं और अंतराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित है.

विनिर्दिष्ट शर्त.— यदि कोई मद या 4 (घ), 4(च), 5(ङ), 5(च) जैसे समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/परिसर/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हो) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/परिसरों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक परिसर/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/परिसरों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमति सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए, जिसे परिसर/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा).

सी. एफ. 2
उच्च दाब/निम्न दाब कनेक्शन हेतु आवेदन-प्रारूप

नवीन कनेक्शन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/टैरिफ श्रेणी का परिवर्तन/ उपभोक्ता का नाम परिवर्तन

(कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्रति,

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें.

महोदय,

मैं/हम/अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करते हैं. इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है:—

1. **उपभोक्ता**

(क) व्यक्ति/संगठन का नाम : -

(ख) पिता/पति/संचालक/भागीदार/न्यासी का नाम : -

(स) परिसर का पूरा पता (पिन सहित) जहां एतद्द्वारा नवीन कनेक्शन के लिये आवेदन किया जा रहा है/ विद्यमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना प्रस्तावित है. -

दूरभाष क्रमांक : -
(i) रजिस्टर्ड कार्यालय (डाक के पते सहित) : -
(ii) निवास (डाक का पता) : -
- -

ई-मेल : -

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -

विद्यमान मंजूर भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : - - - - - - - - - - - - - - - - (उच्च दाब/निम्न दाब)

सर्विस कनेक्शन क्रमांक (विद्यमान कनेक्शन के लिए): -

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/भूखण्ड क्षेत्रफल : -

3. विद्युत् आपूर्ति का प्रवर्ग (संलग्न सूची में यथा उपबंधित क्षेत्र)- -

4. विद्युत् आपूर्ति का उद्देश्य (संलग्न सूची में यथा उपबंधित क्षेत्र) -

5. विद्युत् आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो लागू न हो उसे काट दें तथा जो लागू हो उसे टिक करें)
यदि अस्थाई है तो कालावधि लिखें : दिनांक . . . . से . . . . तक

6. प्रस्तावित भार

(क) घरेलू संयोजन के लिये कृपया वाट . . . .
संयोजित भार के अवधारण के लिए प्रपत्र भरकर संलग्न करें.

(ख) अन्य श्रेणियों के लिए निम्न (विवरण) भरें. (यदि आवश्यक हो तो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूची पृथक् से दी जाए)

मद	विद्युत् भार प्रति मद (वाट)	संख्या	कुल भार (वाट)
(1)	(2)	(3)	(4)

उच्च दाब आपूर्ति :

7. वोल्टेज जिस पर प्रदाय अपेक्षित है (के.व्ही.) :—

11 के. व्ही.	33 के. व्ही.	132 के. व्ही.	220 के. व्ही.

8. विद्युत् प्रदाय का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें तथा जो श्रेणी लागू है उस पर टिक लगाएं)

यदि अस्थायी हो, तो विनिर्दिष्ट कालावधि विनिर्दिष्ट करें . . . . से . . . . तक

9. उपभोक्ता द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम

(क) - - - - - - - - - - - - - - - -

(ख) - - - - - - - - - - - - - - - -

(ग) - - - - - - - - - - - - - - - -

(घ) - - - - - - - - - - - - - - - -

10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार

(अ) (अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर) : - - - - - - - - - - - - - - - -

(ब) कुल संबद्ध भार : - - - - - - - - - - - - - - - -
मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या कनेक्शन चरणों में अपेक्षित है : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. संविदा मांग के चरण (सी.डी.) : -

अनुक्रमांक	आवश्यक सी.डी. (के.व्ही.ए.)	अंतिम दिनांक जब से आवश्यकता है	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : -

14. चयनित श्रेणी की टैरिफ (टैरिफ आदेश के अनुसार). : -

15. उद्योग का उत्पादन ? या उत्पादन के अधिसंभाव्य आंकड़े : -

16. उद्योग की श्रेणी एस.एस.आई/एम.एस.आई/एल.एस.आई (जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें तथा जो श्रेणी लागू है उस पर टिक लगाएं). : -

17. भूमि के अर्जन की प्रास्थिति (कृपया स्वामित्व तथा वैधानिक समाशोधन के सबूत उपलब्ध कराएं). : -

18. अनुमानित तारीख जिससे वित्त उपलब्ध हो जाएगा : -

19. क्या अपेक्षित सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूची के अनुसार लागू हो) मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से वैधानिक अपेक्षानुसार प्राप्त किया गया है (यदि हां तो एक प्रति प्रस्तुत की जाए) : -

- -

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. उपभोक्ताओं के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के चलन क्षेत्र में कोई विद्युत् देयक शोध्य है. : हां/नहीं

21. क्या इस परिसर पर कोई विद्युत् शोध्य बकाया है, जिसके लिए विद्युत् संयोजन हेतु आवेदन दिया है: : हां/नहीं

22. क्या किसी फर्म से अनुज्ञप्तिधारी का कोई विद्युत् शोध्य बकाया है जिससे उपभोक्ता, स्वामी, भागीदार, संचालक या प्रबंध संचालक के रूप में किसी फर्म से सहयुक्त है: : हां/नहीं

(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हां" हो तो कृपया विवरण दें).

23. मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि—

(अ) उपरोक्त प्रारूप में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है.

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं.

(स) मैं/हम लागू विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभार विद्युत् शोध्यों का भुगतान प्रतिमाह करूंगा/करेंगे.

(द) मैं / हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेता हूं/लेते हैं.

दिनांक : _ _ _ _ _ _ _ _ (आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान : - - - - - - - -

नोट.—निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किये जाएंगे :—

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण.

2. प्लांट / कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा. नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.=1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए.

3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस / अनापत्ति प्रमाण-पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है.

5. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज.

6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एसोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इंकार्पोरेशन).

7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा . . . . .क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो. स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तद्नुसार सूचित करेगा.

8. औद्योगिक संयोजन हेतु उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट.

9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची.

10. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव.

11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन जहां लागू हो.

12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में).

13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो. इसे औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा.

संयुक्त आवेदन प्ररूप-3

कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने, उसका विस्तार करने, उपयोग करने के लिए प्लान के अनुमोदन के लिए, तथा अनुज्ञा के लिए आवेदन

(जो लागू न हों काट दें)

1. आवेदक का नाम : -

2. ओवदक का पता जिस पर वह इस संबंध में पत्राचार का इच्छुक है. : -

3. कारखाने का पूरा नाम एवं डाक का पता : -

4. कारखाना जहां स्थित है/स्थित किया जाने वाला है, उस स्थान की स्थिति ·
सड़क/रेल्वे · नगर/ग्राम ·
तहसील · जिला ·

5. विनिर्माणीय प्रक्रिया ·

(क) की जावेगी (यदि कारखाना नया है)/की जा रही है, ·
(यदि कारखाना विद्यमान है) . . . .
(विवरण दीजिए) . . . .

(ख) क्या कारखाना अधिनियम की धारा 2 (सी.बी.) के अधीन परिभाषित किए गए अनुसार खतरनाक प्रक्रिया सम्मिलित है? (विवरण दें) ·

(ग) यदि (ख) के लिए "हां" है तो क्या राज्य शासन से स्थल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है? (विवरण दें)
. . . .

(घ) क्या इसमें कारखाना अधिनियम की धारा 87 के अधीन घोषित किए गए अनुसार कोई खतरनाक प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सम्मिलित है? (विवरण दीजिए) ·
. . . .

(ङ) यदि (घ) के लिए हां, है तो क्या सुसंगत अनुसूची के अनुसार बनाई जाने वाली संस्थापनाओं/इंतजामों की व्यवस्था को प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है? ·

6. (क) कारखाने के प्रत्येक कमरे में नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या . . . .

(ख) क्या अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सभी कर्मकारों के लिए अपेक्षित साधन/सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? ·

7. (क) क्या संयंत्र में किसी प्रकार की लिफ्ट / हाइट्स / लिफ्टिंग मशीनें स्थापित हैं / स्थापित की जावेंगी (विवरण दीजिए)
. . . .

(ख) यदि (क) के लिए "हां" है तो क्या अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार व्यवस्था के संबंध में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए) ·

8. (क) क्या किसी कर्मकार से विभिन्न तलों पर या ऊंचाई पर, जहां से उसके गिर जाने की संभावना है/या मशीनों या फिटिंग्स या सीमित स्थान गड्ढे या सम्प्स के कारण संकुचित (कन्जेस्टेड) स्थल पर कार्य करने की अपेक्षा की जावेगी? (विवरण दीजिए) ·

(ख) यदि (क) के लिए हां है तो, क्या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पहुंच, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था के उपबंध के बारे में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए) . . . .

9. क्या खतरनाक धूम्र/गैस निष्कासित होने या उसका विस्फोट होने की कोई संभावना है? यदि हां तो क्या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाने वाले उपयुक्त इंतजाम की व्यवस्था के बारे में प्लान में सोच विचार कर लिया गया है? (विवरण दीजिए) . . . .

10. निर्माण हेतु कौनसे पदार्थों का उपयोग किया है/किया जाएगा?

(क) भवन हेतु (विवरण दीजिए) . . . .

(ख) छत के लिए (विवरण दीजिए) . . . .

11. नियम 3(क) की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदत्त की गई जानकारी की विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई ड्राइंग्स की विशिष्टियां—

(1) . . . .

(2) . . . .

स्थान : - - - - - - - - -
दिनांक : _ _ _ _ _ _ _ _ _

. . . .

आवेदक के हस्ताक्षर

जो उस परिसर का अधिभोगी बनने जा रहा है, जिसके लिए प्लान प्रस्तुत किया गया है और अनुमति मांगी गई है.

कारखाना अधिनियम के अधीन अनुमति हेतु आवश्यक संलग्नक :—

1. भू-व्यपवर्तन/पट्टाभिलेख/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से भू-आवंटन आदेश की छायाप्रति/किराया विलेख.
2. संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद/भागीदारी विलेख.
3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/आवश्यक सहमति.
4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ई.एम. अभिस्वीकृति.
5. विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण फ्लो चार्ट सहित.
6. ऑन साइट इमरजेंसी प्लान (खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए).
7. उपयोग में आने वाले/उत्पादन किए जाने वाले रसायनों की सूची एवं उनसे संबंधित मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट.
8. नक्शा (ब्लू प्रिंट में)—

(क) स्थल कार्ययोजना—1 : 500 (कारखानें की स्थिति आस-पास की स्थिति के साथ)

(ख) प्लान, एलीवेशन, आवश्यक क्रॉस सेक्शन दर्शाने वाला मशीन लेआउट, दरवाजों का विवरण, खिड़की, वेंटीलेशन व्यवस्था व आपातकालीन निकासी व्यवस्था इत्यादि-माप-1 : 100

(आवेदन-पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत किए जावे).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-4

भूमि आवंटन हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एमपी एकेव्हीएन)/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ब्यौरे / विशिष्टियां

1. औद्योगिक क्षेत्र / विकास केन्द्र का नाम :

2. प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि विघटित के ब्यौरे (वर्गमीटर) :

अनुक्रमांक (1)	प्रयोजन (2)	प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र (3)	तत्काल उपयोग हेतु (4)	भविष्य में उपयोग हेतु (5)	कुल (6)
1	फैक्ट्री भवन				
2	प्लांट/मशीनरी द्वारा वास्तविक अधिभोग में				
3	कार्यालय एवं अन्य आनुषंगिक भवन				
4	खाली स्थान, उद्यान, लॉन या सड़कें				
5	सामग्री का भंडारण/गोदाम				
6	बहि:स्रोत का निष्पादन				
7	प्रयोगात्मक अनुसंधान				
8	अन्य कोई संरचना				
9	ठोस अपशिष्ट या बहि:स्रोत के निष्पादन हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.				

3. मशीनों की सूची (यदि सूची लंबी है, तो कृपया पृथक से पन्ना संलग्न करें) :

अनुक्रमांक (1)	मशीनों का विवरण (2)	एच.पी. (3)
1		
2		
3		

4. यदि अपेक्षित भूमि राजस्व विभाग का अंग हो तो—

(एक) भूमि की अवस्थिति,—

ग्राम :
तहसील :
जिला :

(दो) भूमि के ब्यौरे (कृपया बी-1, खसरा एवं नक्शे की प्रति संलग्न करें)
परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि
(एकड़ में)
खसरा नम्बर :

(तीन) भूमि की प्रास्थिति :
राजस्व भूमि/नजूल भूमि

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए).

संलग्नकों की सूची :—

1. विद्यमान नियमों एवं विधियों के अनुसार अपेक्षित प्रस्तावित परियोजना स्थापित करने से संबंधित आवेदक का आशय, उद्यमी ज्ञापन अभिस्वीकृति/आई.ई.एम. अथवा अनुज्ञप्ति कोई अन्य दस्तावेज की अभिस्वीकृति की प्रति.

2. संयंत्र (प्लांट) एवं मशीनरी/उपस्कर तथा औद्योगिक शेड के लिए अपेक्षित सन्निर्मित क्षेत्र के पूर्ण ब्यौरे सहित परियोजना प्रतिवेदन/स्कीम की प्रति, उत्पाद के लिए गोदाम, कच्चा माल, प्रोसेस चार्ट, लागत, वित्तीय संसाधन के साथ कार्यालय की प्रति आदि.

3. प्रस्तावित सन्निर्माण के भूमि उपयोगिता को सार्थक सिद्ध करते हुए अभिन्यास योजना तथा सन्निर्मित क्षेत्र/शेड की प्राक्कलित लागत.

4. आवेदक के संगठन के समर्थन में भागीदारी विलेख/संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उप-विधियां एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति.

5. भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों, उनके शेयर्स को उपदर्शित करते हुए नाम तथा पते, फर्म में दें. भागीदारी अधिनियम के अधीन भागीदारी विलेख एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट/सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न की जाएं.

6. कम्पनी के मामले में भूमि आवंटन के आवेदन के समर्थन में संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रति के साथ कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक प्रति, कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र.

7. सहकारी सोसायटी के मामले में कार्यकारी समिति द्वारा इस संबंध में पारित संकल्प की एक प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं तारीख दें. सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन उपविधियों एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें.

8. आवेदक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न दस्तावेजों और आवंटन से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को समर्थ बनाने के लिए आवेदक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्राधिकार पत्र.

9. क्रियान्वयन की विभिन्न प्रक्रमों को पूर्ण करने के लिए समय अनुसूची पर्ट चार्ट.

10. सूक्ष्म/लघु उद्योगों के मामले में ओवदन फीस रुपये 2000/- तथा मध्यम/वृहद् उद्योगों के मामले में रुपये 10000/- का ट्रेजरी चालान/डिमाण्ड ड्राफ्ट.

टिप्पण :—

- आवेदन फीस ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की जाए, (डी.टी.आई.सी. के अधीन क्षेत्रों के लिए)
- आवेदन फीस संबंधित ए.के.व्ही.एन. (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम) को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाए (ए.के.व्ही.एन. के अधीन क्षेत्रों के लिए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-5

जल प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियाँ

1. स्थल क्षेत्रफल (वर्गमीटर) :
   पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार : . . . .

2. प्रयोजन : . . . .

3. कुल निर्मित क्षेत्र : . . . .

4. जल प्रदाय कनेक्शन का आवेदित आकार : . . . .

15 मि.मी./ 20 मि.मी./ 25 मि.मी./ 40 मि.मी./ 50 मि.मी./ अन्य

5. आवेदित सीवर (मल वहन) कनेक्शन का आकार : . . . .

100 मि.मी./ 150 मि.मी./ 200 मि.मी./ अन्य

6. विद्यमान जल कनेक्शन का विवरण : . . . .

7. विद्यमान सीवर (मल वहन) का विवरण : . . . .

संलग्नकों की सूची—

(एक) भूमि आवंटन दस्तावेज

(दो) कोई जानकारी, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त रूप से संलग्न करें.

कोई अन्य ब्यौरे

दिनांक : . . . . वास्ते . . . .

हस्ताक्षर . . . .

स्थान : . . . . पदनाम . . . .

नाम . . . .

(आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-6

प्राकृतिक संसाधनों/ नदी / जलधारा / नाला / शासकीय जल स्त्रोतों से प्रस्तावित जल आवंटन हेतु आवेदन

1. **जल की आवश्यकता के निर्धारण का ब्यौरा :—**

अनुक्रमांक (1)	कार्य का विवरण (2)	प्रतिदिन जल की आवश्यकता एम 3 (3)	प्रतिमाह जल की आवश्यकता एम.सी.एम. में (4)	प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता एम 3 में (5)

2. **प्रस्तावित स्त्रोत का स्थान—**

(क) जिले का नाम . . . .

(ख) तहसील का नाम . . . .

(ग) समीपस्थ ग्राम का नाम . . . .

(घ) नदी / नाला / जलधारा / जलाशय का नाम . . . .
(स्थान/अवस्थिति दर्शाने वाले सूचक नक्शा संलग्न करें).

3. **जल स्रोत से किस प्रकार खींचा जाए, उसकी योजना :**

अ. उद्योग द्वारा स्वयं की व्यवस्था

(क) प्राकृतिक स्रोत से पम्पिंग द्वारा

पम्प के प्रकार (1)	क्षमता बी.एच.पी. में (2)	संख्या (3)

(ख) भण्डारण जलाशय का निर्माण करके :

संरचना का प्रकरण (1)	लंबाई (2)	प्रस्तावित भण्डारण एमसीएम में (3)

ब. राज्य सरकार के जलाशय से . . . .

4. क्या आवंटन हेतु जिला स्तरीय जल उपयोग समिति को आवेदन प्रस्तुत किया है : हां/नहीं

5. उद्योगों/संयंत्रों/बिजली घर के चालू होने की निर्धारित तिथि . . . .

टिप्पणी.—राज्य सरकार द्वारा जल आवंटन की प्रक्रिया निम्नलिखित है :—

(क) आवेदक उद्योग की जल आपूर्ति मांग उस जिले के जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्री के माध्यम से जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति को प्रस्तुत की है, उस जिले के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुशंसा प्राप्त करें.

(ख) जिला स्तरीय जल उपयोग समिति की अनुशंसा संबंधित मुख्य अभियंता नदी कछार को अग्रेषित की जाएगी, मुख्य अभियंता औद्योगिक उपयोगिता के लिए साध्यता एवं जल उपलब्धता के अनुसार अनुशंसा का पुनर्विलोकन करेगा तथा उसकी अनुशंसाओं के साथ प्रस्ताव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय जल उपयोग समिति को प्रस्तुत करें.

(ग) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारण करने से पूर्व, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल की अध्यक्षता में औद्योगिक जल उपयोगिता समिति द्वारा राज्य जल योजना के अनुसार प्रस्ताव का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि प्रस्ताव साध्य पाया जाता है तो प्रमुख अभियंता राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति को प्रस्ताव पर विचारण के लिए अनुशंसित करेगा.

(घ) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति आवेदक उद्योग को गुण-दोष के आधार पर जल आवंटन के लिए अंतिम निर्णय लेती है.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम : . . . .

पता : . . . .

(आवेदन चार प्रतियों में संलग्न किया जाए).

संयुक्त आवेदन प्ररूप-7

भवन निर्माण के लिए स्थानीय निकायों से अनुमति हेतु अतिरिक्त विशिष्टियाँ

1. स्थल क्षेत्र (वर्गमीटर) : . . . .
पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार

2. उद्देश्य : . . . .

3. कुल निर्मित क्षेत्र : . . . .

4. भूमि का ब्यौरा : . . . .

(एक) पूरा पता

सर्वेक्षण क्रमांक/भू-खण्ड क्रमांक/ग्राम/तहसील/जिला

(दो) क्या भूमि व्यपवर्तित है (ब्यौरे संलग्न करें)

5. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदन : . . . .
(यदि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है)

संलग्नकों की सूची :

(एक) स्वामित्व दस्तावेज : . . . .

(दो) मूल ड्राइंग : 4 ब्लूप्रिंट : . . . .

(तीन) भूमि व्यपवर्तन दस्तावेज : . . . .

(चार) नगर और ग्राम निवेश योजना से अनुमोदन : . . . .

(पांच कोई अन्य ब्यौरे : . . . .

वास्ते . . . .

हस्ताक्षर . . . .

पद: प्रबन्धक/संचालक/मुख्य कार्यकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/अधिष्ठाता/प्रबन्धक

(जो लागू न हो, उन्हें काट दें)

नाम . . . .

दिनांक : . . . .

स्थान : . . . .

(आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत करें).

संयुक्त आवेदन-प्ररूप के साथ स्वप्रमाणन
घोषणा-पत्र की पूर्ति की जाए

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 16 (2) के अधीन
(रुपये 100/- के न्यायिकेत्तर स्टॉम्प पर निष्पादन किया जाए)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... निवासी .... जो पद .... मेसर्स .... फर्म/कम्पनी की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र देता हूँ कि:—

1. हमारी फर्म/कम्पनी, निर्माण/सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्थान .... पर परियोजना स्थापित करना प्रस्तावित कर रही है.

2. हम प्रमाणित करते हैं कि संयुक्त आवेदन-पत्र (भाग-क एवं भाग-ख) में दी गई विशिष्टियां हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही हैं एवं पूर्ण हैं तथा हम उसके अधीन की गई घोषणाओं का पालन करने का वचन देते हैं. फर्म/कम्पनी, यदि प्रस्तुत की गई विशिष्टियां असत्य/गलत अथवा अपूर्ण पाए जाने पर एवं की गई घोषणाओं का पालन करने में असफल रहती है, तो फर्म/कम्पनी, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18 (1) के अधीन उल्लिखित दांडिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहेगी.

क्रियान्वयन स्तर :

3. फर्म/कम्पनी, एतद्‌द्वारा प्रत्येक निर्वाधन में विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन करने तथा अपेक्षाओं/निर्बाधन की शर्तों के अनुपालन में बाधा-निवारण हमारे असफल रहने पर प्रत्याहरण/निर्बाधन के रद्दकरण के फलस्वरूप तथा संबंधित अधिनियमों/नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विधिक परिणाम के लिये हम उत्तरदायी होंगे.

प्रचालन स्तर :

4. फर्म/कम्पनी, हमारी परियोजना पर लागू अधिनियम/नियम/विनियम के समस्त उपबंधों का पालन करने का वचन देती है.

5. फर्म/कम्पनी अस्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत स्वप्रमाणन के कारण, निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगी.

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम

स्थान : ....

दिनांक : ....

कार्यालय, मध्यप्रदेश व्यापार एवं निवेश संवर्धन निगम लि. भोपाल/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

अभिस्वीकृति

सी.ए.एफ. प्राप्ति क्रमांक . . . . मेसर्स .... से पूर्ण आकार में दिनांक . . . . को संस्थापना हेतु निम्नलिखित निर्बाधन प्राप्त किए :—

अनुक्रमांक (1)	निर्बाधन (2)	संयुक्त आवेदन-पत्र क्रमांक (3)	विभाग/एजेन्सी (4)	आवेदन संलग्न (हाँ/नहीं) (5)
1	पर्यावरण निर्बाधन (जल एवं वायु प्रदूषण के लिए सहमति).	सी.ए.एफ.-1	राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन एजेन्सी.	
2	विद्युत् संयोजन उच्च दाब संयोजन निम्न दाब संयोजन.	सी.ए.एफ.-2 (ए) एवं (बी)	संबद्ध विद्युत् वितरण कम्पनी.	
3	कारखाना अधिनियम के अधीन स्थल अनुमोदन एवं भवन निर्माण हेतु अनुमति.	सी.ए.एफ.-3	श्रम विभाग	
4	भूमि आवंटन	सी.ए.एफ.-4	संबंधित जिला व्यापार/उद्योग केन्द्र एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (मध्यप्रदेश ए. के. व्ही. एन.).	
5	जल आपूर्ति	सी.ए.एफ.-5	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (एम.पी.ए.के.व्ही.एन).	
6	प्राकृतिक संसाधनों से निकाले जाने वाले प्रस्तावित जल आबंटन.	सी.ए.एफ.-6	जल संसाधन विभाग	
7	स्थानीय निकायों से भवन निर्माण हेतु अनुमति.	सी.ए.एफ.-7	नगर निगम/नगरपालिका	
8	अन्य			

नाम

हस्ताक्षर एवं सील

नोडल एजेन्सी.

स्थान : . . . .

दिनांक : . . . .

उपाबंध—एक

[नियम 5 (4) तथा (5) देखिए]

आवेदनों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों/एजेन्सियों के लिए विहित समय-सीमा

क्रमांक (1)	सहमति/शोधन (2)	वर्णित समय-सीमा (3)
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन पर्यावरण शोधन	
	(एक) पर्यावरण प्रभाव के आंकलन (ई.आई.ए.)/ई.एम.पी. हेतु टर्म ऑफ रिफेरेंस (टी. ओ. आर.) का अंतिम रूप से तकनीकी पुनर्विलोकन, स्क्रीनिंग तथा स्कोपिंग.	60 दिवस
	(दो) राज्य स्तरीय आंकलन समिति द्वारा ई.आई.ए./ई.एम.पी. अंतिम अनुमति/अननुमति का मूल्यांकन.	60 दिवस
	(तीन) राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण एजेन्सी (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी का अनुमोदन तथा जारी किया जाना.	45 दिवस
2	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन उद्योग स्थापना के लिए सहमति	120 दिवस
3	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन उद्योग स्थापना के लिए सहमति	120 दिवस
4	मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा निम्न दाब के विद्युत् कनेक्शन स्वीकृत करना	20 दिवस
5	मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा उच्च दाब के विद्युत् कनेक्शन स्वीकृत करना	30 दिवस
6	अतिरिक्त उच्च दाब लाईन स्वीकृत करना	60 दिवस
7	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन स्थल का अनुमोदन तथा भवन निर्माण करने के लिए अनुमति.	90 दिवस
8	उद्योग विभाग से भूमि आवंटन—	
	(एक) आशय-पत्र	15 दिवस
	(दो) आबंटन पत्र	30 दिवस
	(तीन) पट्टा विलेख का क्रियान्वयन	30 दिवस
	(चार) भूमि का आधिपत्य	07 दिवस
9	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से जल प्रदाय के लिये सहमति	07 दिवस
10	उद्योग विभाग द्वारा राजस्व विभाग को आबंटन की गई भूमि का आबंटन किया जाना	120 दिवस
11	प्राकृतिक संसाधनों से जल निकाले जाने के लिए अनुशंसा :	
	(क) जिला स्तरीय समिति से	30 दिवस
	(ख) औद्योगिक जल उपयोगिता समिति	60 दिवस
	(ग) राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति	90 दिवस
12	स्थानीय निकाय से भवन निर्माण के लिये अनुमति	30 दिवस

- विहित निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर समय-सीमा लागू होगी.
- नोडल एजेन्सी से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से विहित समय-सीमा प्रारंभ होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 20-32-2008-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32-2008-बी-ग्यारह का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.